K. 	• ::317 • O/O	पुक्त (अपील्स) का कार्या THE COMMISSIONE	लय,वस्तु एवं सेवा करऔर केन्द्रीय R (APPEALS), GST & CENT	उत्पाद शुल्क:: RAL EXCISE,
	ATTEN		रस टी भवन / 2 nd Floor, GST Bhavar	Sandhan Shimunda Shim Li
Note 1			रोड, / Race Course Ring Road,	सत्यमे
	WAINNEI Tele I		<u>ोट / Rajkot – 360 001</u> 2/2441142Email: cexappealsrajk	at@amail.a.m
रन्ति	-टर्ड डाक <u>१</u> .डी.द्वारा			
<u>्राजर</u> क	अपील / फाइतः गंख्या/	-	मूल आदेश सं /	दिनांक/
	Appeal /File i o. V2/51/RA.:/2019		0.1.0. №. 17/DC/KG/2018-19	Date
		·	1//DC/KG/2018-19	31-01-2019
ख	अपील आहेश संख्या	Order-In-Appeal No.):	
			<u>S-000-APP-008-2020</u>	
	आदेश का दिनांक / Date of Ower:	27.01.2020	जारी करने की तारीख / Date of issue:	28.01.2020
	श्री गोपी नाश ्आयुक्त (अपील्स), राजकोट द्वारा पारित/ Passed by Shri Gopi Nath , Commissioner (Appeals),Rajkot			
ग	राजकाट / जॉमनगः / २	गाधीधाम। द्वारा उपरलिखित ve mentioned OlO issi	न आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ सेवार त जारी मूल आदेश से सृजित: / ued by Additional/Joint/Deputy/A	•
घ	अपीलकर्ता & प्रतिवादी का नाम एवं पता /Name & Address of the Appellant & Respondent :-			
	M/s Saral Plastic Industries, Plot no. 4, Survey No. 25/1, Shapar main road, shapar (Veval), * .jkot.			
	इस आदेश(अपील) से व्यथित कोई व्यक्ति निम्नलिखित तरीके में उपयुक्त प्राधिकारी / प्राधिकरण के समक्ष अपील दा ा कर स Any person aggrieved by this Order-in-Appeal may file an appeal to the appropriate authty ine followin way.			
(A)	सीमा शुल्क ,केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील,केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधेनिय ,1944 की धा 35B के अंतर्गत एवं वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86 के अंतर्गत निम्नलिखि+त जगह की जा सकती है ।/ Append to Custome Evening & Section Tem Appendix (1977)			
(i)	Appeal to Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal under Section 35B of CEA, 1944 / Under Section 86 of the Finance Act, 1994 an appeal lies to:-			
(-)	वर्गीकरण मूल्यांकन से सम्बन्धित सभी मामले सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिवन्दग की विशेष पीठ, वेस ब्लॉक नं 2, आर. के. पुरम, नई दिल्ली, को की जानी चाहिए ।/			
(1)	The special bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal of West Block No 2, R.K. Puram, New Delhi in all matters relating to classification and valuation.			
(ii)	उपरोक्त परिच्छेद 1(a) में बताए गए अपीलों के अलावा शेष सभी अपीलें सीमा शुल्क,केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवावार अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट)की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका,,द्वितीय तल, बहुमाली भवन असार्वा अहमदाबाद- ३८००१६को की जानी चाहिए //			
	To the West regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CI STAT) at 2nd Floo: Bhaumali Bhawan, Asarwa Ahmedabad-380016in case of appeals other than as men inned in para-1(a above			
(iii)	अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील)नियमावली, 2001 के निया 6 के अंतर्ग निर्धारित किए गये प्रपत्र EA-3 को चार प्रतियों में दर्ज किया जाना चाहिए। इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जत उत्पाट ल्क की माँग ब्याज की माँग और लगाया गया जुर्माना, रुपए 5 लाख या उससे कम,5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिव तो क्रमश: 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति से संबद्ध रूप से अधिव तो क्रमश: 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संबद्ध को देता हा भुगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रजिस्टार के नाम से किसी भी सार्वजिनक क्षेत्र के बैंक दगारा जारी रेख,कित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संबंधित ड्राफ्ट का भुगतान, बैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीता / न्यायाधिवरण की शाखा स्थित है। स्थगन आदेश (स्ट ऑर्डर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/- रुपए का निर्धारित शुल्क जमा करना होता।//			
	The appeal to the App 6 of Central Excise (<i>i</i> accompanied by dutydemand/interest, form of crossed bank place where the bencl situated. Application r	ellate Tribunal shall be Appeal) Rules, 2001 and a fee of Rs. /penalty/refund is upto draft in favour of Asst. 1 of any nominated pub nade for grant of stay sh	filed in quadruplicate in form EA d shall be accompanied against 1.000/- Rs.5000/-, Rs.10,0 5 Lac., 5 Lac to 50 Lac and ab Registrar of branch of any nomin lic sector bank of the place wher all be accompanied by a fee of Rs	A-3 / as prescribed unc Rul one which at least shild b 00/- where amout c ove 50 Lac respective! in th ated public sector bail of the the ben h of the Tr Inal i . 500/
(B)	अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील, वित अधिनियम, 1994की धारा 86(1) के अंतर्गत सेवाकर नियमवाली, 1994, के निर्य्9(1) तहत निर्धारित प्रपत्र S.T5में चार प्रतियों में की जा सकेगी एवं उसके साथ जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गयी हो, उसकी कि सलग्न करें (उनमें से एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां सेवाकर की माँग, ब्याज व लगाया गया जुर्माना, रुपए 5 लाख या उससे कम,5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिक है तो कम 1,00 रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का भुगतान, संबंधि न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रजिस्टार के नाम से किसी भी सार्वजिनक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखोकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा चाहिए । संबंधित ड्राफ्ट का भुगतान, बेंक की उस शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित अदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए अधिदन-पत्र के साथ 500/- रुपए का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।/			
	The appeal under sub- filed in quadruplicate be accompanied by a accompanied by a fee of Rs. 5 Lakhs or less more than five lakhs interest demanded & favour of the Assistan of Tribunal'is situated	e section (1) of Section 8 in Form S.T.5 as prescr copy of the order appeal s of Rs. 1000/- where the but not exceeding Rs. penalty levied is more t Registrar of the bench / Application made for	36 of the Finance Act, 1994, to ti ibed under Rule 9(1) of the Servi ed against (one of which shall be he amount of service tax & inter amount of service tax & interest Fifty Lakhs, Rs.10,000/- where than fifty Lakhs rupees, in the of nominated Public Sector Ban grant of stay shall be accompani	ne Appellate Tribunal hall b ice Tax Rules, 1994, at is Sha certified copy) and st uid b est demanded & penalt leve demanded & penalty 1 ted the amount of service tax form of crossed bank c att i k of the place where the enc ed by a fee of RS.500/

वित्त अधिनियम,1994की धारा 86 की उप-धाराओं (2) एवं (24) के उसके स्वर्भ भी भयो अपील, सेवाकर नियमवाली, 1994, के नियम 9(2) एवं 9(2A) के तहत निर्धारित प्रपन्न S.T.-7 से की जा स्वेगी एवं उसके स्वर्भ में मुल्ल, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अथवा आयुक्त (अपील), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा पारित आदेश की प्रतियाँ संलग्न करें (उमर्थ से एक प्रति केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अथवा आयुक्त (अपील), केन्द्रीय उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ सेवाकर, को अपीलीय न्यायादिकारण को जालेवन दर्ज करने का निर्देश देने वाले आदेश की प्रति भी साथ में

stight, and striking striking and generating and the section of the section of the Finance Act 1994, shall be filed in For ST.7 as prescribed under Rule 9 (2) &9(2A) of the Service Tax Rules. 1994 and shall be accompanied by a copy of order of Commissioner Central Excise or Commissioner, Central Excise (Appeals) (one of which shall be a certified copy) and copy of the order passed by the Commissionerautherizing the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Central Excise / Service Tax to file the oppeal before the Appellate Tribunal.

- सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर, अपीसीय प्रशिकरण (सेल्टेट) के प्रति अपीलों के मामले में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 35एक के अंतर्गत, जो की वित्तीय अधिलियम, 1994 को धारा 83 के अंतर्गत सेवाकर को भी लागू की गई है, इस आदेश के प्रति अपीलीय प्राधिकरण में अपील करते समय उत्पाद शुल्क/सेवा कर मांग के 70 अलिशत (19%), जब मांग एवं जुर्माना विवादित है, या जुर्माना, जब (iii) केवल जुर्माना विवादित है, का भुगतान किया जाएँ, रशतें कि इस धास के रोटर्गत जेमा कि जाने दाली अपेक्षित देय राशि दस करोड़ रुपए से अधिक न हो।
 - केन्द्रीय उत्पाद शूल्क एवं सेवाकर के अंतर्गत "कांग लिए वार शूल्क" में निम्न शामिल है
 - धारा 11 डी के अँतर्गत रक्त (i)
 - सेनवेट जमा की ली जई बलल में के (iii)
 - सेनवेट जमा नियसावली के नियन 8 के अंतर्भल देने रकन (iii)

- बशर्ते यह कि इस धारा के प्रादधान वितीय (सं. 2) अधिवियम 2014 के आरंभ से पूर्व किसी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष

- बशर्ते यह कि इस धारा के प्रावधान विशीय (से. 2) अधिवित्र 2014 के आरंभ से पूर्व किसी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन स्थगन अर्ज़ी एवं अपील को लागू नहीं होते।/ For an appeal to be filed before the CESTAT, under Section 3557 of the Central Excise Act, 1944 which is also made applicable to Service Tax under Section 83 of the Timefue Act, 1994, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty domanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute, provided the attractive duty of duty and penalty are in dispute, or ceiling of Rs. 10 Crores, Under Central Excise and Service Ter., "Duty Attracted" shall include : (i) amount determined under Section 1 D: (ii) amount of erroneous Central Excise 1 D: (iii) amount payable under Rule 6 of the Central Trees - provided further that the provisions of this Section and apply to the stay application and appeals pending before any appellate authority prior to the commercement of the Finance (No.2) Act, 2014.

(C)

5

ž

भारत सरकार कोपूनरीक्षण आवेदन : Revision application to Government of Eacher इस आदेश की पुनरीक्षणयाचिका लिम्मलिखिल जाउनी में हेंद्रीय उत्पद्ध शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा 35EE के प्रथमपरंतुक के अंतर्गतअवर सचिव, भारत सरकार, पुनरीक्षण आयेदन ईकाई, उस नंगरिय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001, को किया जाना चाहिए। / A revision application lies to the Under Secretary, to the Government of India, Revision Application Unit, Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Joevan Peep Building, Parliament Street, New Delhi-110001, under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35B ibid:

- यदि माल के किसी जुकसान के मामले में, जहां गुकसान किसी माल को फिसी कारखाने से भंडार गृह के पारगमन के दौरान या किसी अन्य कारखाने या फिर किसी एक भंडार गृह से दूसरे भंडार गृह पारजमन के दौरान, या किसी भंडार गृह में या भंडारण में माल के प्रसंस्करण के दौरान, किसी कारखाने या किसी भंडार गृह में माल के नुकसान के लाभने में में In case of any loss of goods, where the loss course in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse (i)
- भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात कर रहे साल के विशिर्माण में प्रमुक्त कच्चे माल पर भरी गई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के छुट (रिबेट) के मामले में, जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात की गयी है।/ In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India. (ii)
- यदि उत्पाद शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर, लेगाल या शृटान को जान निर्यात किया गया है। / In case of goods exported outsideIndia export to Nepel or Eduten, without payment of duty. (iii)
- सुनिश्चित उत्पाद के उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए को इयुटी झेडीट पूझ अधिनियम एवं इसके विभिन्न प्रावधानों के तहत मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो आयुक्त (अपील) के द्वारा वित अधितियम (न. 2),1008 की धारा 109 के द्वारा नियत की गई तारीख अथवा समायाविधि (iv) पर सा बाद में गरित किए गए है।/ Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec. 109 of the Finance (No.2) Act, 1998.
- उपरोक्त आवेदन की दो प्रतियां प्रपत्र संख्या EA-8 में, लो की केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील)नियमावली,2001, के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट है, इस आदेश के संप्रेषण के 3 माह के अंतर्गत की जानी चाहिए। उछरोक्त आवेदन के साथ मूल आदेश व अपील आदेश की दो प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए। साथ ही केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियन, 1944 की धारा 35-EE के तहत निर्धारित शुल्क की अदायगी के साक्ष्य के तौर पर TR-6 की प्रति संलग्न की जानी चाहिए। / The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-In-Appeal. It should also be accompaniec by a copy of TR-6 Challar evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account. (v)

- पुनरीक्षण आवेदन के साथ निम्नलिखित निर्धारित गुन्छ की अदायगी की जाती चाहिए। जहाँ संलग्न रकम एक लाख रूपये या उससे कम हो तो रुपरे 200/- का अुपातान किया आए और यदि संलग्न रकम एक लाख रूपये से ज्यादा हो तो रूपये 1000 -/ का भुगतान किया जाए। The revision application shall be accompanied by a fee of Rs. 200/- where the amount involved in Rupees One Lac or less and Rs. 1000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac. (vi)
- यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश हैं से प्रत्येक लुख आदेश के लिए शुल्क का भुगतान, उपयुक्त ढंग से किया जाना चाहिये। इस तथ्य के होते हुए भी की लिखा पढ़ी कार्य से बचने के लिए सथास्थिति अपंत्रिंग नयाधिकरण को एक अपील या केंद्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता है। / In case, if the order covers various numbers of order- in Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner, not with standing the fact that the one appeal to the Appellant Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is illed to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lakh fee of Rs. 100/- for each. (D)
- ण्यासंशोधित न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1975, के अनुसूची-1 के अनुसार मूल आदेश एवं स्थगन आदेश की प्रति पर निर्धारित 6.50 रुपये का ल्यायालय शुल्क टिकिट लगा होना चाहिए। / One copy of application or O.I.C. as the case may be, and the order of the adjudicating authority shall bear a court fee stamp of Rs.6.50 as prescribed under Schenule-I in terms of the Court Fee Act, 1975, as amended. (E)
- (F)
- सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अभीतीय न्यायाधिकरण (कार्य दिधि) नियमावली, 1982 में वर्णित एवं अन्य संबन्धित मामलों को सम्मिलित करने वाले नियमों की और भी ध्यान आकर्भित किया जाता है। / Attention is also invited to the rules covering these and other related matters contained in the Customs, Excise and Service Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.
- (G) उच्च अपीलीय प्राधिकारी को अपील दाखिल करने से संबंधित व्यापक, विस्तृत और नवीनतम प्रावधानों के लिए, अपीलार्थी विभागीय वेबसाइट www.cbec.gov.in को देख सकते हैं । / For the elaborate, detailed and latest provisions relating to filing of appeal to the higher appellate authority, the appellant may refer to the Departmental wobsite www.cbec.gov.m

(i)

ORDER-IN-APPEAL

بجاري المحلي وراحان

M/s Saral Plastic Industries, Rajkot [hereinafter referred to as "appellant"] has filed appeal No. V2/51/RAJ/2019 against Order-in-Original No. 17/DC/KG/2018-19 dated 31.1.2019 [hereinafter referred to as "impugned order"] passed by the Dy. Commissioner, Central Goods and Service Tax Division, Rajkot-II [hereinafter referred to as "adjudicating authority"].

2. Briefly stated, the facts of the case are that Show Cause Notice No. $IV/6-115/C \ge P/2016-$ 17 dated 11.9.2017 was issued to the appellant for clandestine removal of g ods. The adjudicating authority on "med Central Excise duty of Rs. 35,01,808/- along with the terest and penalty. Aggrieved with the implagned order, the appellant has filed the instant appea

3. In hearing, Shri R.C. Prasad, Consultant appeared on behalf of the Appellant and informed that they had opted for "Sabka Vishwas (Legacy Dispute Resolution) Scheme, 2019 [for short-SVLDRS] for the issue under appeal and requested to keep their appeal in abeyance. I find that the designated committee has accepted their application under SVLLERS and issued discharge certificate dated 30.11.2019 to the appellant in terms of provisions of Section 127 of the Finance Act, 2019.

4. I find that as per provisions of Section 127 (6) of the Finance Act, 2019, in respect of a declaration filed under SVLDRS which is accepted by the designated committee and issued discharge certificate, the appeal before appellate authorities challenging the issue/tax dues for which settlement is sought under SVLDRS, will be deemed to have been withdrawn. The relevant provisions of Section 127 (6) of the Finance Act, 2019 is as under:

"(6) Where the declar ant has filed an appeal or reference or a reply to the show cause notice against any order or notice giving rise to the tax dues, before the appellate forum, other than the Supreme Court or the High Court, then, notwithstanding anything contained in any other provisions of any law for the time being in force, such appeal or reference or reply shall be deemed to have been withdrawn. "

5. In view thereof, the appeal under consideration is to be considered as withdrawn. Accordingly, I dismiss the appeal as withdrawn.

21:12020

(GOPI NATH)

Attested

(V.T.SHAH) Superintendent(Appeals)

By R.P.A.D.

To,
M/s Saral Plastic Industries,
Plot No. 4, Survey No. 25/1,
Shapar Main Road,
Shapar (Veraval),
Rajkot.सेवा में,
मे॰ सरल प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़,
प्लॉट न॰ 4, सर्वे न॰ 25/1, शापर मैन रोड,
शापर (वेरावल), राजकोट।

10

प्रतिलिपि :-

- 1) प्रधान मुख्य आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, गुजरात क्षेत्र,अहमदाबाद को जानकारी हेतु।
- 2) आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, राजकोट आयुक्तालय, राजकोट को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- उप आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मण्डल, राजकोट-II को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- #) गार्ड फ़ाइल।